भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2359

3 दिसंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : प्रत्यक्ष आय सहायता योजना के अंतर्गत नामांकित किसान

2359. श्रीमती प्रमिला बिसाईः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष आय सहायता (डीआईएस) योजना के तहत नामांकित किसानों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) डीआईएस के अंतर्गत राज्य-वार कितना बजट आबंटित और संवितरित किया गया है;

(ग) वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान डीआईएस योजना के तहत लाभान्वित किसानों की श्रेणी-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा आज की तिथि के अनुसार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और आज की तिथि के अनुसार, किसानों की आय में वृद्धि की स्थिति क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम के तहत नामांकित किसानों की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I पर प्रस्तुत है।

(ख): पीएम-किसान के तहत निधियां राज्य-वार आवंटित नहीं की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्कीम के तहत 20,000 करोड़ रूपये की राशि (संशोधित अनुमान) आवंटित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 75000 करोड़ रू0 की राशि (बजट अनुमान) स्कीम के लिए आवंटित की गई है और लगभग 35000 करोड़ रू0 की राशि अब तक स्कीम के तहत संवितरित कर दी गई है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पीएम-किसान स्कीम के तहत लाभान्वित किसानों का श्रेणी और राज्य-वार विवरण अनुबंध-II पर प्रस्तुत है।

(घ): सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी मामलों की जांच करने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित कार्यनीतियों की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ अप्रैल, 2016 में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति ने सितम्बर, 2018 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद सिफारिशों से संबंधित प्रगति की समीक्षा और अनुवीक्षण करने के लिए 23.1.2019 को एक अधिकार प्राप्त निकाय गठित किया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की स्कीमों/कार्यक्रमों के भाग के रूप में किए गए प्रयासों के कारण जो किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी कार्यनीति से भी जुड़े हुए हैं, कृषि क्षेत्र में सकरात्मक प्रभाव लाने वाले कौशल में सराहनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी डीएफआई समिति की सिफारिशों में की गई परिकल्पना के अनुसार पहले से ही बनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों का विवरण अनुबंध-III पर प्रस्तुत है।

अता.प्र.सं.2359

<u>अनुबंध-I</u>

पीएम-किसान के तहत नामांकित लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण (30-11-2019 की स्थिति के अनुसार)		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल पंजीकृत लाभार्थी
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	16,711
2	आंध्र प्रदेश	4,686,448
3	अरुणाचल प्रदेश	51,023
4	असम	3,640,840
5	बिहार	5,013,872
6	चंडीगढ़	462
7	छत्तीसगढ	1,958,269
8	दादा और नागर हवेली	10,471
9	दमन और दीव	3,529
10	दिल्ली	13,026
11	गोवा	7,123
12	गुजरात	4,921,454
13	हरियाणा	1,556,218
14	हिमाचल प्रदेश	870,133
15	जम्मू और कश्मीर	981,836
16	झारखंड	1,757,090
17	कर्नाटक	4,947,326
18	केरल	2,953,861
19	लक्षद्वीप	1,699
20	मध्य प्रदेश	6,003,018
21	महाराष्ट्र	8,286,008
22	मणिपुर	105,759
23	मेघालय	70,087
24	मिजोरम	78,653
25	नागालैंड	179,808
26	ओडिशा	3,792,315
27	पुडुचेरी	9,385
28	पंजाब	2,370,077
29	राजस्थान	5,813,813
30	सिक्किम	11,048
31	तमिलनाडु	3,535,221
32	तेलंगाना	3,611,078
33	त्रिपुरा	194,227
34	उत्तर प्रदेश	21,997,078
35	उत्तराखंड	716,886
36	पश्चिम बंगाल	0
	कुल:	90,165,852

अता.प्र.सं.2359

<u>अनुबंध-II</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	30/11/2019 तक कुल लाभार्थी			
	कुल	सामान्य	अ.जा.	अ.जजा.
अंडमान निकोबार	15,885	11,931	16	3,938
आंध्र प्रदेश	4,320,247	3,576,887	526,095	217,265
बिहार	4,423,636	3,779,228	503,152	141,256
चंडीगढ़	418	411	7	-
छत्तीसगढ़	1,552,789	893,603	183,662	475,524
दादरा और नगर हवेली	10,208	306	85	9,817
दमन और दीव	3,321	2,762	96	463
दिल्ली	11,345	11,199	145	1
गोवा	6,473	4,679	27	1,767
गुजरात	4,629,420	3,797,260	182,751	649,409
हरयाणा	1,392,327	1,345,992	45,059	1,276
हिमाचल प्रदेश	834,014	566,469	217,528	50,017
जम्मू और कश्मीर	835,522	650,137	76,819	108,566
झारखंड	1,420,698	983,296	200,125	237,277
कर्नाटक	4,691,272	4,057,861	395,115	238,296
केरल	2,689,128	2,504,792	145,795	38,541
लक्षद्वीप	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	4,596,060	3,096,860	578,951	920,249
महाराष्ट्र	7,047,466	6,013,478	505,679	528,309
ओडिशा	3,068,080	1,718,560	361,002	988,518
पुडुचेरी	9,052	8,397	651	4
पंजाब	2,209,351	1,827,089	-	382,262
राजस्थान	4,555,627	3,251,405	693,325	610,897
तमिलनाडु	3,328,433	2,866,475	394,744	67,214
तेलंगाना	3,456,204	2,502,442	513,140	440,622
उत्तर प्रदेश	17,022,833	13,535,907	3,318,986	167,940
उत्तराखंड	653,524	508,221	107,747	37,556
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-
कुल (1)	72,783,333	57,515,647	8,950,702	6,316,984
पूर्वोत्तर राज्य				
राज्य				
	कुल	सामान्य	अ.जा.	अज.जा.
अरुणाचल प्रदेश	42,727	27,007	41	15,679
असम	2,694,102	1,985,606	223,635	484,861
मणिपुर	78,044	10,855	1,416	65,773
मेघालय	61,060	1,552	279	59,229
मिजोरम	65,451	11	2,976	62,464
नगालैंड	151,303	323	283	150,697
सिक्किम	-	-	-	-
त्रिपुरा	189,041	67,249	21,641	100,151
कुल (2)	3,281,728	2,092,603	250,271	938,854
सकल योग (1+2)	76,065,061	59,608,250	9,200,973	7,255,838

भारत सरकार की कार्यनीति के तहत कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाकर किसानों के कल्याण पर ध्यान सकेंद्रित करना है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की स्कीमों के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और घटकों के जरिए किसानों को प्रत्यक्षत: लाभ पहुंचाने संबंधी स्कीमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्डों के वितरण से संबंधित विशेष स्कीम का कार्यान्वयन ताकि उर्वरकों के प्रयोग को तर्कसंगत बनाया जा सके।

ii. ''प्रति बूंद अधिक फसल'' पहल जिसके तहत पानी के ईष्टतम उपयोग के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आदानों की लागत में कमी होने के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

iii. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंरपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) को कार्यान्वित किया जा रहा है।

iv. ई-नाम स्कीम को इसलिए शुरू किया गया है ताकि किसानों को एक इलैक्ट्रॉनिक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी ऑनलाईन व्यापार मंच प्राप्त हो सके।

v. जोखिमों को कम करने के प्रयोजनार्थ फसलों को बेहतर बीमा सुरक्षा दिए जाने के लिए एक फसल बीमा स्कीम नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) खरीफ 2016 मौसम से शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत किसानों द्वारा प्रीमियम संबंधी निम्न अंशदान के साथ विशेष मामलों में फसलोपरांत जोखिम सहित फसल की प्रत्येक अवस्था में बीमा सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान है।

vi. ''हर मेढ़ पर पेड़'' घटक के तहत अतिरिक्त आमदनी के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन होने के बाद बांस को वृक्षों की परिभाषा से अलग कर दिया गया है। गैर वन्य सरकारी भूमि, निजी भूमि पर बांस की उपज को बढ़ावा देने के साथ-साथ मूल्यवर्धन, उत्पाद विकास और मंडियों के विकासार्थ वर्ष 2018 में एक पुन:संरचित राष्ट्रीय बांस शुरू किया गया है।

vii. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 मौसम से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

viii. किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)" का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट, 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा

उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

ix. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

x. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार 3 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत कम हो जाता है।

xi. सरकार ने कृषि क्षेत्र की ओर ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, बैंकों की उपलब्धि लगातार वार्षिक लक्ष्य से अधिक रही है। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

xii. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनर्संरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xiii. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

xiv. देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का लक्ष्य उच्च आय वर्ग से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन किसानों को चार माह के अंतराल पर 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना है।

xv. सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजिविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3 हजार रूपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

*****